मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1357
27.07.2026 को उत्तर के लिए

जनजाति बहुल क्षेत्रों में वन संरक्षण

1357 **डॉ. फग्गन सिंह कुलस्तेः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मानव-वन्यजीव संघर्ष, वन अवक्रमण और जलवायु परिवर्तन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और अन्य जनजाति बहुल राज्यों में जनाजातीय समुदायों की आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में वन संरक्षण, जैव-विविधता संवर्धन, प्रतिपूरक वनीकरण और मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कोई विशेष योजना लागू की है;

(घ) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन में ग्राम सभाओं और स्थानीय जनाजातीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित की गई है;

(ङ) क्या सरकार का जनजाति बहुल क्षेत्रों में वन संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका और पर्यावरणीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोई नई कार्य-योजना लागू करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण,वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) आदिवासी समुदायों की क्षमता को सुदृढ़ करने और उनकी आजीविका की सुरक्षा करने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत वन्यजीव पर्यावास विकास, मिष्टी (तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल), नगर वन योजना और प्रतिपूरक वनीकरण कोष जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय हरित भारत मिशन (जीआईएम) को भी लागू कर रहा है, जिसका उद्देश्य चिन्हित भूभागों में वृक्षारोपण और पारिस्थितिकी तंत्र बहाली के माध्यम से जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन में योगदान करते हुए वन और वृक्ष आवरण की सुरक्षा, बहाली और संवर्धन करना है।

इन योजनाओं को संबंधित अनुमोदित प्रबंधन योजना/बाघ संरक्षण योजना/यथा लागू कार्य योजना के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, जिसे ग्राम सभाओं के परामर्श से तैयार किया जाता हैं।

विभिन्न वनीकरण कार्यक्रमों के अंतर्गत, ग्राम स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियाँ (जेएफएमसी) और पारिस्थितिकी विकास समितियाँ (ईडीसी) गठित की जाती हैं, जिससे स्थानीय समुदायों की आजीविका संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए सतत वन प्रबंधन और वन्यजीव संरक्षण में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित होती है। हालांकि, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में वन संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों की आजीविका और पर्यावरणीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कोई नई योजना प्रस्तावित नहीं है।

इसके अलावा, मानव-वन्यजीव संघर्ष के प्रबंधन सहित वन्यजीव संरक्षण के लिए, मंत्रालय केंद्र प्रायोजित योजनाओं 'वन्यजीव पर्यावास विकास' और 'व्याघ्र एवं हाथी परियोजना' के तहत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। समर्थित गतिविधियों में हितधारकों के परामर्श से फसल क्षेत्रों में जंगली जानवरों के प्रवेश को रोकने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की खरीद, कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा संचालित बिजली की बाड़, जैव-बाड़, बाउंड्री वॉल आदि जैसी वास्तविक बाधाओं का निर्माण और स्थापना, मवेशियों की चोरी, फसल क्षति, जानमाल की हानि सहित जंगली जानवरों द्वारा किए गए नुकसान के लिए मुआवजा देना शामिल है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए त्वरित प्रतिक्रिया दल भी तैनात किए जाते हैं।
